न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

नं. मु. :– 81/2025

निर्णय दिनांक :– 28/8/2025

श्यामलाल पुत्र खिराजाराम उम्र 43 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गोधिया बालाजी, ढाणी रामदेवरा, तहसील बीदासर जिला चूरू, मो.नं. 8107194977

– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)
2. शांति देवी पत्नी खिराजाराम जाति मेघवाल निवासीनी गोधिया बालाजी, ढाणी रामदेवरा, तहसील बीदासर जिला चूरू
3. संतोष देवी पुत्री खिराजाराम जाति मेघवाल निवासीनी गोधिया बालाजी, ढाणी रामदेवरा, तहसील बीदासर जिला चूरू
4. तुलछा पुत्री खिराजाराम जाति मेघवाल निवासीनी गोधिया बालाजी, ढाणी रामदेवरा, तहसील बीदासर जिला चूरू
5. छोटू देवी पुत्री खिराजाराम जाति मेघवाल निवासीनी गोधिया बालाजी, ढाणी रामदेवरा, तहसील बीदासर जिला चूरू
6. चुकी देवी पुत्री खिराजाराम जाति मेघवाल निवासीनी गोधिया बालाजी, ढाणी रामदेवरा, तहसील बीदासर जिला चूरू
7. कालूराम पुत्र खिराजाराम जाति मेघवाल निवासी गोधिया बालाजी, ढाणी रामदेवरा, तहसील बीदासर जिला चूरू

.... प्रतिवादीगण

राजस्व वाद वास्ते घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

निर्णय

उपस्थित :–

1. अरविन्द चौधरी एडवोकेट वास्ते वादी
2. लालचन्द जाट एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण 2 ता 7
3. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता की खातेदारी का एक खेत खाता नम्बर नया 23, पुराना 22, खसरा संख्या 2161/1923 तादादी 2.3143 हेक्टयर रोही ग्राम हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसके खातेदारी के खेत के राजस्व रेकॉर्ड में वादी के पिता का नाम खीरजाराम पुत्र केशरराम दर्ज है। उक्त खातेदारी रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम अशुद्ध अंकित है। वादी के पिता खिराजाराम की मृत्यु दिनांक 07.04.2024 को हो चुकी है, जिनके विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 हैं। जिसमें वादी के पिता के नाम नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त भूलवश वादी के पिता का नाम खीरजाराम पुत्र केशरराम अशुद्ध अंकित हो गया। जबकि वादी के पिता का वास्तविक और सही रिकॉर्डेड दस्तावेजी नाम खिराजाराम पुत्र केशाराम जाति मेघवाल है। वादी राजस्व रेकॉर्ड में अपने पिता का सही नाम खिराजाराम पुत्र केशाराम जाति मेघवाल दर्ज अंकित करवाना चाहता है। वादी के पिता के समस्त दस्तावेजात यथा – आधार कार्ड, परिचय पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पीपीओ, मृत्यु प्रमाण–पत्र इत्यादि में वादी के पिता का नाम खिराजाराम पुत्र केशाराम अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का अशुद्ध नाम खीरजाराम पुत्र केशरराम अंकित होने के कारण समस्त प्रकार के दस्तावेजी कार्यवाही में भिन्नता होने के कारण वादी को राजस्व रेकॉर्ड में अपने पिता की मृत्यु हो जाने के कारण विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करवाने, अन्य प्रत्येक प्रकार राजकीय कार्यवाही एवं लाभ से भी वंचित रहना पड़ रहा है। राजकीय अनुदान प्राप्त करने सम्बन्धी समस्त प्रकार की कार्यवाहियां नेट से कनेक्ट होने के कारण वादी के पिता के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, परिचय पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पीपीओ, मृत्यु प्रमाण–पत्र इत्यादि से मिलान नहीं होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता स्वयं अकेले की भूमि है वादी के पिता उक्त खाता खसरा का रिकॉर्डेड खातेदार हैं जिनका वादी कानूनन जायज वारिस होने की हैसियत से रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। भूमि का नामान्तरण दर्ज करते समय त्रुटिवश राजस्व रेकॉर्ड में वादी के पिता का नाम खीरजाराम पुत्र केशरराम दर्ज हो गया था, अब वादी राजस्व रेकॉर्ड में अपने पिता का सही एवं दस्तावेजी नाम खिराजाराम पुत्र केशाराम दर्ज करवाना चाहता है। वादी के पिता का गलत चला आ रहा नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वाद पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही हरिनगर तहसील बीदासर में स्थित है। इसलिए इस वाद पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी के न्यायालय को प्राप्त है आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 की ओर से एडवोकेट लालचन्द जाट ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 की ओर से ईकबालिया जवाब पेश कर वाद–पत्र में वर्णितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार बीदासर ने अपना लिखित मे जवाब पेश किया जिसमें वादी के पिता का नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। वादी ने न्यायालय के समक्ष अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

किये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, परिचय पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पीपीओ, मृत्यु प्रमाण–पत्र इत्यादि आदि में वादी के पिता का नाम खिराजाराम पुत्र केशाराम अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम खीरजाराम पुत्र केशरराम अंकित है। हमनें पत्रावली का भलीभांति ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम शुद्धि से सम्बन्धित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पीपीओ, मृत्यु प्रमाण–पत्र आदि में वादी के पिता का नाम खिराजाराम पुत्र केशाराम अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम खीरजाराम पुत्र केशरराम अंकित है, जिसको वादी के पिता के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम हरिनगर के खेत खाता नम्बर नया 23, पुराना 22, खसरा संख्या 2161/1923 तादादी 2.3143 हेक्टयर में वादी के पिता के नाम को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर वादी के पिता का दस्तावेजी शुद्ध एंव सही नाम खिराजाराम पुत्र केशाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को भेजा जावे। निर्णय आज दिनांक 28/8/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर